राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2842/2024

सरफराज अहमद खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2024
आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.08.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कार्यालय संभाग संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संभाग जयपुर से राजकीय शास्त्री संसकृत महाविद्यालय, करौली किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.09.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा नये पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा नये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है और वह वर्तमान में चिकित्सकीय अवकाश पर चल रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पदोन्नति उपरांत किया गया है। नवीन पदस्थापन 180 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 31.12.2025 को सेवानिवृत्त होगा। उसकी सेवानिवृत्ति में वर्तमान में केवल 15 माह का समय शेष रहा है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। उन्हें Splondalesis बीमारी है। अपीलार्थी के स्थानांतरण से उनका ईलाज ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी स्वयं भी बीमार है। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी व स्वयं की बीमारी के

संबंध में भी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इस आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि वर्तमान में जयपुर में प्रशासनिक अधिकारी के तीन पद रिक्त हैं। ऐसे में अपीलार्थी को जयपुर में ही सेवारत रखा जा सकता है। अतः अपीलार्थी को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15.08.2024 एवं 05.09.2024 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमो का उल्लघंन नही है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं रखता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/पदस्थापन/आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती। अपीलार्थी की विभागीय आदेश दिनांक 08.07.2024 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2023–24 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति की गई, पदोन्नति के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 15.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी का प्रशासनिक दृष्टि से पदोन्नति पर पदस्थापन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय करौली में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है, बल्कि इनका पदोन्नति पर पदस्थापन किया गया है। नियमानुसार कार्मिक की पदोन्नति पर पदस्थापन रिक्त स्थान पर किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा पत्नी की बीमारी के बारे में विभाग को पूर्व में कोई जानकारी नही दी गई, साथ ही अपीलार्थी के असाध्य रोग के बारे में विभाग को कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त नही है।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से अधिक का समय शेष है। अतः अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर अनुचित होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 15 माह का समय ही शेष रहा है। ऐसा कोई नियम हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया गया है कि

सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता हो। अपीलार्थी ने अपने स्वयं की और अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर स्थानांतरण आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। हमारा मत है कि स्थानांतरण होने से अपीलार्थी व उसकी पत्नी का इलाज संभव नहीं है, यह प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों का संबंध है, तो अपीलार्थी इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों के आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। अपीलार्थी का स्थानांतरण उसकी पदोन्नति के उपरांत किया गया है, जिसमें कोई विधि–विरूद्धता प्रकट नहीं होती है और न ही कोई दुर्भावना होना प्रकट हुआ हैं। अपीलार्थी वर्ष 1992 से जयपुर में कार्यरत है और वर्तमान में अपीलार्थी की पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित आधार नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)